अनुदान संख्या 11 – उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
GRANT No. 11 – DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	6570,66,00		6696,45,00	6618,06,86	-78,38,14
पूरक	Supplementary	125,79,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					64,12,00
पूंजीगत–	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1211,58,00		1685,58,00	1685,57,32	-68
पूरक	Supplementary	474,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹7838.14 लाख) दिसंबर, 2021 तथा मार्च, 2022 में प्राप्त किए गए ₹12579.00 लाख के पूरक अनुदान का 62 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 1 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹7838.14 lakhs) constituted 62 percent of the supplementary grants of ₹12579.00 lakhs obtained in December, 2021 and March, 2022 and 1 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय — आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	10000.00	11567.93	11417.69	-150.24
पु.	R.	1567.93			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	93430.00	6.82	..	-6.82
पू.	S.	12575.00			
पु.	R.	-105998.18			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	80494.00	67530.10	66659.54	-870.56
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-12965.90			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	444172.00	556149.20	556178.16	+28.96
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	111975.20			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services				
मू.	O.	22893.00	22006.78	21684.37	-322.41
पू.	S.				
पु.	R.	-886.22			

(I) ₹106050.00 लाख का प्रावधान (₹12575.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹105945.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत – निम्निलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध किए गएः–

(का) "तकनीकी शिक्षा – अन्य व्यय – स्वायत्त निकायों को परियाना आधारित सहायता" – ₹1300.00 लाख;

(खा) "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी" –

(क) "पिछड़े और सुदूर क्षेत्रों का औद्योगिक विकास"– "52071.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); और

(ख) "जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित यूनिटों के लिए वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के अंतर्गत बजटीय सहायता"– "52574.00 लाख (₹12574.00 लाख के पूरक अनुदान सहित)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2852" – "सामान्य" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुईः–

(का) "औद्योगिक उत्पादकता – स्वायत्त निकायों को सहायता" – ₹800.00 लाख की बचत (₹2129.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वायत्त निकायों द्वारा स्वयं निधियां सृजित किए जाने के कारण कम प्रस्ताव/दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹106050.00 lakhs (including supplementary grant of ₹12575.00 lakhs) remained wholly unutilized under five heads; of these ₹105945.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Technical Education - Other Expenditure - Project Based Support to Autonomous Bodies"- ₹1300.00 lakhs.

(B) "Development of Backward Areas - Subsidies" –

(a) "Industrial Development of Backward and Remote Area"- ₹52071.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(b) "Budgetary Support under Goods and Service Tax Regime to the units located in State of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim" - ₹52574.00 lakhs (including supplementary grant of ₹12574.00 lakhs).

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2852" – "General" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Industrial Productivity – Assistance to Autonomous Bodies" - saving of ₹800.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2129.00 lakhs) was due to receipt of less proposals/claims owing to self- generation of funds by autonomous bodies.

(खा) "अन्य व्यय" –

(क) "औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम" – ₹1028.58 लाख की बचत (₹1300.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण अवसंरचना परियानाओं की गति धीमी होने के कारण हुई।

(ख) "स्वायत्त संस्थानों को परियाना आधारित सहायता" – ₹657.38 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹12018.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण अवसंरचना परियानाओं की धीमी गति होने और संस्था के पूरी क्षमता से कार्य संचालन न होने के कारण हुई।

(ग) "मेक इन इंडिया" – ₹18954.35 लाख की बचत (₹42132.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम को अनुमोदन न मिलने तथा कम विदेशी दौरे और सेमिनार किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2885'' के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः–

(का) "पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकी" –

(क) "जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए औद्योगिक विकास स्कीम" – ₹5659.30 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कम दावे प्रस्तुत किए जाने के कारण हुई।

(B) "Other Expenditure" -

(a) "Industrial Infrastructure Upgradation Scheme" – saving of ₹1028.58 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1300.00 lakhs) was due to slow pace of infrastructure projects owing to COVID -19 pandemic.

(b) "Project Based Support to Autonomous Institutions" - saving of ₹657.38 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹12018.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to slow pace of infrastructure projects and non-functioning of the institution in full capacity owing to COVID-19 pandemic.

(c) "Make in India" – saving of ₹18954.35 lakhs (against the sanctioned provision of ₹42132.00 lakhs) was due to non-approval of Credit Guarantee Fund Scheme and less foreign tours and seminars owing to COVID-19 pandemic.

(III) Under Major Head "2885" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Development of Backward Areas – Subsidies"-

(a) "Industrial Development Scheme, 2017 for Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh" - saving of ₹5659.30 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to submission of less claims by Union Territories.

(ख) "जम्मू और कश्मीर, संघ राज्य क्षेत्र का औद्योगिक विकास'' – ₹10271.01 लाख की बचत) (₹10450.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऑनलाइन पोर्टल डिजाइनिंग तथा विकास के कारण स्कीम के चालू होने में विलंब होने की वजह से संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कम दावे प्रस्तुत किए जाने के कारण हुई।

(b) "Industrial Development of UT of Jammu & Kashmir" - saving of ₹10271.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10450.00 lakhs) was due to submission of less claims by Union Territories owing to delay in functioning of scheme consequent to online portal designing and development.

(खा) "औद्योगिक कॉरीडोर – दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर – राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास एवं कार्यान्वयन न्यास" – ₹114090.00 लाख की बचत (₹200000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम की अपेक्षित शर्त पूरी न किए जाने के कारण राज्य सरकारों द्वारा भूमि का अधिग्रहण करने में विलंब होने के कारण हुई।

(B) "Industrial Corridors - Delhi Mumbai Industrial Corridor – National Industrial Corridors Development and Implementation Trust (NICDIT)" - saving of ₹114090.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹200000.00 lakhs) was due to delay in acquisition of land by State Governments owing to non-fulfilling the requisite conditions of the Scheme.

(VI) "मुख्य शीर्ष "3475" – "पेटेंटों, डिजाइनों और ट्रेड मार्कों का विनियमन – बौद्धिक सम्पदा" – ₹1657.77 लाख की बचत (₹21543.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इस स्कीम को बंद किए जाने/इस स्कीम का महानियंत्रक पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क के साथ विलय किए जाने, कम प्रस्ताव प्राप्त किए जाने और आईपी दिवस अवार्ड का समारोह ऑनलाइन किए जाने के कारण हुई।

(VI) Under Major head "3475" – "Regulation of Patents, Designs and Trade Marks - Intellectual Property" – saving of ₹1657.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹21543.00 lakhs) was due to closure/merger of scheme with Controller General of Patents, Designs and Trade Marks, receipt of less proposals and conduction of online celebration of IP Day award.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹70238.50 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹4.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:—

2.(I) The above savings were partly (₹70238.50 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹4.00 lakhs under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष "2852" – "उपभोक्ता उद्योग – चमड़ा – भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम" – ₹7847.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹7844.90 लाख था।

(A) Major Head "2852" – "Consumer Industries – Leather – Indian Leather Development Programme"- ₹7847.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹ 7844.90 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2885" – "पिछले क्षेत्रों का विकास – सहायिकियां" –

(B) Major Head "2885" – "Development of Backward Areas - Subsidies" –

(क) "पिछले तथा सुदूर क्षेत्र का औद्योगिक विकास''– ₹59197.50 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹59197.45 लाख था।

(a) "Industrial Development of Backward and Remote Area" – ₹59197.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹59197.45 lakhs.

(ख) ″हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड राज्यों के लिए औद्योगिक विकास स्कीम, 2017′′ – ₹3194.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹3189.00 लाख था।

(b) "Industrial Development Scheme for the States of Himachal Pradesh (HP) and Uttarakhand, 2017" - ₹3194.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹3189.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ″3451″ – ″सचिवालय – उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग″ – ₹1584.10 लाख का अधिक व्यय (₹9140.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संभारिकी प्रभाग का वाणिज्य मंत्रालय से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग में स्थानांतरण किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "3451" – "Secretariat – Department for Promotion of Industry and Internal Trade" - excess of ₹1584.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9140.00 lakhs) was due to transfer of Logistic Division from Ministry of Commerce to Department for Promotion of Industry and Internal Trade.

(खा) मुख्य शीर्ष ″2885″ – ″पिछड़े क्षेत्रों का विकास – सहायिकियां – जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में अवस्थित यूनिटों के लिए वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत बजटीय सहायता″ – ₹179638.02 लाख का अधिक व्यय (₹210792.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियानाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ″2552″ से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा जीएसटी प्रतिपूर्ति के लंबित दावों के निपटान के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(B) Major Head "2885" – "Development of Backward Areas – Subsidies – Budgetary Support under Goods and Service Tax Regime to the units located in States of Jammu & Kashmir, Uttarakhand, Himachal Pradesh and North Eastern States including Sikkim" - excess of ₹179638.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹210792.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and requirement of additional funds towards settlement of pending claims of GST reimbursement.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹454.73 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 36 प्रतिशत था।

(III) Under one head excess of ₹454.73 lakhs occurred constituting 36 percent of the sanctioned provision.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, savings/ excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4875" अन्य उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4875" Capital Outlay on Other Industries				
मू.	O.	120158.00	167558.00	167558.00	..
पू.	S.	47400.00			

(I) "अन्य उद्योग – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश" – ₹2600.00 लाख की बचत (₹12600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण हुई।

(I) Under "Other Industries – Investments in Public Sector and other Undertakings - Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)" - saving of ₹2600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12600.00 lakhs) was due to delay in implementation of the scheme.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2600.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि – "अन्य उद्योग – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश – निधियों की निधि'' के अंतर्गत दिसंबर, 2021 में ₹47400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4. The above savings were partly (₹2600.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹47400.00 lakhs in December, 2021 under – "Other Industries – Investments in Public Sector and other Undertakings – Fund of Funds".